

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क्र.: 1183 / 2014

संस्थित दि: 04 / 12 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

दीनदयाल साहू पिता सोविन्दा, उम्र 55 साल,
निवासी चीनी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: **निर्णय** :: —

(आज दिनांक 13 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी चरनलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/181, 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दिनांक 07/09/2014 को समय 04:45 बजे प्रकाश सेलून दुकान के सामने परसवाड़ा से लामटा मेन रोड थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.बी.9310 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन पर नम्बर नियमानुसार नहीं पाये गये तथा वाहन को बिना वैध लायसेंस व बीमा के चलाते हुये पाये गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी उमेश ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.09.2014 को समय 04:45 बजे वह उसकी सायकिल से घर कुमनगांव जा रहा था। बाजार चौक तरफ से आ रही मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.बी.9310 के चालक ने

तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सायकिल सहित गिर गया और उसे चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तारी कर आरोपी से वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/181, 146/196 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/181, 146/196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 07/09/2014 को समय 04:45 बजे प्रकाश सेलून दुकान के सामने परसवाड़ा से लामटा मेन रोड थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.बी.9310 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी की इसी दिनांक समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.बी.9310 नम्बर नियमानसार नहीं पाये गये ?

(3) क्या आरोपी इसी दिनांक समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.बी.9310 को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुये पाया गया ?

(4) क्या आरोपी इसी दिनांक समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.बी.9310 को बिना वैध बीमा के चलाते हुये पाये गये ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/180, 146/196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/180, 146/196 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 3/180, 146/196 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(09) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000/- एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177 के आरोप के अन्तर्गत 100/- तथा 3/180 के आरोप के अन्तर्गत 500/- के अर्थदण्ड व 146/196 के आरोप के अन्तर्गत 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर

आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल एम.पी.50—एम.बी.9310 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)